

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०२१

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर, अधिनियम, २०१८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ.

(२) इस अधिनियम के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

२. मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, २०१८ (क्रमांक ११ सन् २०१८) की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

धारा २ का
संशोधन.

“(च) किसी व्यापारी के संबंध में “करयोग्य कुल राशि” से अभिप्रेत है, व्यापारी की कुल राशि का वह भाग, जो उसमें से निम्नलिखित कटौती के पश्चात् बाकी बचे,—

(एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किये गये मोटर स्पिरिट का विक्रय मूल्य जहां विक्रेता व्यापारी द्वारा, क्रेता व्यापारी को किए गए ऐसे विक्रय पर उपकर संदत्त किया जाना हो;

(दो) धारा ३ के अधीन उपकर के रूप में संग्रहीत की गई रकम या वह रकम जो निम्नलिखित फार्मूला लागू करके प्राप्त होती है:

उपकर की दर X खण्ड (एक) के अधीन विक्रय मूल्य, यदि कोई हो, को घटाने के पश्चात् अभिप्राप्त कुल राशि

$(100 + \text{उपकर की दर})$

परन्तु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपकर के रूप में संग्रहीत की गई राशि, अन्यथा कुल राशि से काटी गई है तो उपर्युक्त फार्मूले के आधार पर कोई कटौती नहीं की जाएगी;”

३. (१) मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक ४ सन् २०२१) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

निरसित तथा
व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई कोई बात, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या की गई बात समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रथम बिंदु पर उपकर के अधिरोपण में अस्पष्टता दूर करने तथा उपकर के प्रभार को समाप्त करने के उद्देश्य से "करयोग्य कुल राशि" की परिभाषा में संशोधन किया जाना आवश्यक है, जिससे उपकर की राशि पर उपकर का संग्रहण नहीं हो, अतः मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अधिनियम, २०१८ (क्रमांक ११ सन् २०१८) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक ४ सन् २०२१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल:

तारीख १२ फरवरी, २०२१.

जगदीश देवड़ा

भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड १ (२) द्वारा अधिनियम के उपबंधों को अधिसूचित कर लागू करने के संबंध राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, २०१८ में दी गई टैक्सेबल टर्नओवर की परिभाषा में विसंगति होने के कारण व्यवसायियों को उपकर की गणना करने में कठिनाई हो रही थी अतः इसका तत्काल समाधान करने हेतु मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, २०१८ में संशोधन आवश्यक था.

चूंकि विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक ४ सन् २०२१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, २०१८ (क्रमांक ११ सन् २०१८) से उद्धरण.

* * * * *

धारा २—परिभाषाएं

उपधारा (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “उपकर” से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन उद्गृहीत मोटर स्पिरिट के करयोग्य कुल राशि पर देय उपकर;
- (ख) “व्यापारी” से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जो मोटर स्पिरिट के क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार करता है;
- (ग) “रजिस्ट्रीकृत व्यापारी” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी;
- (घ) “नियम” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम;
- (ङ) “कर” से अभिप्रेत है, वेट अधिनियम के अधीन देय कर और अतिरिक्त कर;
- (च) किसी व्यापारी के संबंध में “करयोग्य कुल राशि” (टैक्सेबल टर्न ओवर) से अभिप्रेत है, व्यापारी की कुल राशि का वह भाग, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के हाथ में ऐसे मोटर स्पिरिट के उस विक्रय मूल्य को, जिससे इसे क्रय किया गया है तथा जिस पर विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने उपकर संदत्त किया है, घटाने के पश्चात् शेष बचता है;
- (छ) “कुल राशि” (टर्न ओवर) से अभिप्रेत है, मोटर स्पिरिट के किसी विक्रय या प्रदाय या वितरण के संबंध में किसी व्यापारी द्वारा प्राप्त किए गए तथा प्राप्त किए जाने योग्य विक्रय मूल्य की कुल राशि जिसमें खण्ड (ङ) में यथापरिभाषित कर की राशि सम्मिलित है;
- (ज) “वेट अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्र. २० सन् २००२).

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.